हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय

123, गंगा विहार,उत्तराखण्ड परिवहन निगम, वर्कशॉप कार्यालय के पीछे हरिद्वार रोड देहरादून, उत्तराखण्ड।
दूरभाष नं0–0135–2723321/2528085 फैक्स नं0–0135–2723323
वेवसाईट–www.hnbumu.ac.in ई0मेल0-info.hnbumu@gmail.com

संन्दर्भ सं0: 76 /एच.एन.बी.यू.एम.यू./2016–17 दिनांकः–20अप्रैल, 2017

प्रेस विज्ञप्ति

नीट पी0जी0–2017 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से राज्य स्थित निजी मेडिकल/डेण्टल कॉलेजों की पी.जी. सीटों पर आवंटित छात्र–छात्राओं के प्रवेश एवं शुल्क के संबंध में।

मा॰ उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका संख्या–4060/2009 मध्य प्रदेश राज्य बनाम जय नारायण चोक्से और अन्य के क्रम में मा॰ उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में अवमानना याचिका संख्या–584/2016 में मा॰ उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 22 सितम्बर, 2016 को पारित निर्णय आदेश के अनुपालन के क्रम में शासन द्वारा शासनादेश संख्या–49/XXVIII(1)/2017/150/2005 II cover दिनांक 13 जनवरी, 2017 के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2017–18 में मेडिकल/डेण्टल के स्नातकोत्तर पाठयक्रमों मे प्रवेश हेतु नीट पी.जी.–2017 प्रवेश परीक्षा के परिणाम के आधार पर राज्य में स्थित राजकीय/निजी मेडिकल/डेण्टल कॉलेजों एवं निजी/डीम्ड विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु राज्य सरकार के स्तर पर केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग कराया जाना सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये।

भारत के राजपत्र संख्या–101 दिनांक 11 मार्च, 2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में उत्तराखण्ड शासन चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–01 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–313/XXVIII(1)/2017/150/ 2005 II cover दिनांक 29 मार्च, 2017 के माध्यम से नीट पी.जी.–2017 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग बोर्ड का गठन करते हुए मा॰ उच्चतम न्यायालय, एम.सी.आई. द्वारा निर्धारित समय–सारणी के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य स्थित समस्त मेडिकल/डेण्टल शिक्षण संस्थानों की पी.जी. पाठ्यक्रमों की समस्त सीटों हेतु केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग प्रक्रिया दिनांक 04 अप्रैल, 2017 से प्रारम्भ की गई।

शासनादेश संख्या–377/XXVIII(1)/2017/150/ 2005 II cover दिनांक 03 अप्रैल, 2017 के माध्यम से एम.सी.आई. की अधिसूचना दिनांक 10 मार्च, 2017 एवं भारत सरकार के पत्रांक–V.11025/04/2016-MEP दिनांक 21 फरवरी, 2017 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही किये जाने तथा पी.जी. सीटों के शुल्क का निर्धारण उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 एवं संशोधन अधिनियम, 2010 के प्राविधान के अनुसार गठित प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

मा॰ उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमिक ऑफ एजूकेशन और अन्य बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका एवं अन्य (सिविल रिट पिटीशन संख्य–350/1993), टी.एम.ए. पाई फाउन्डेशन और अन्य बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका एवं अन्य (2002/08/एस.सी.सी. 481), पी. ए. ईनामदार बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एवं अन्य (सिविल अपील संख्या–5041/2005) वाद प्रकरणों में मा॰ उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार अधिनियम पारित करके ऐसी समिति गठित करेगी, जो अनानुदानित विश्वविद्यालय/संस्थानों आदि के प्रवेश एवं शुल्क संबंधी प्रक्रिया पर निगरानी रखेगी और शुल्क निर्धारण करेगी। इस क्रम में जिन निजी मेडिकल/डेण्टल शिक्षण संस्थानों द्वारा उक्त समिति के सम्मुख शुल्क निर्धारण हेतु कोई प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया है, के शुल्क का निर्धारण माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समय–सारणी का अनुपालन कर ससमय काउन्सिलिंग सम्पादित कराये जाने की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुए, शासनादेश संख्या–429/XXVIII(1)2017-150/ 2005 TC III दिनांक 11 अप्रैल, 2017 के द्वारा जिस प्रकार पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–2472/XXVIII(1)2016-53/

Scanned by CamScanner

2013 दिनांक 29 सितम्बर, 2017 के माध्यम से श्रीदेव सुमन सुभारती मेडिकल कॉलेज, देहरादून के एम.बी.बी.एस. पाठयक्रम की 150 सीटों के सापेक्ष 50 प्रतिशत राजकीय कोटे की सीटों का आवंटन करते हुए शुल्क का निर्धारण किया गया, उसी भांति हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईन्सेज, देहरादून तथा उत्तरांचल डेण्टल एवं मेडिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, देहरादून की कुल पी.जी. सीटों के सापेक्ष राजकीय कोटे की 50 प्रतिशत सीटों सहित सम्पूर्ण सीटों पर प्रवेश की कार्यवाही करते हुए पी.जी. पाठ्यक्रम के शुल्क के संबंध मे शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1024/XXVIII(1)2015-77/2013 दिनांक 08 अप्रैल, 2015 के अनुसार हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, देहरादून हेतु तथा शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1224/XXVIII(1)2015-77/2013 दिनांक 07 मई, 2015 के अनुसार उत्तरांचल डेण्टल एवं मेडिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, माजरी ग्राण्ट, देहरादून हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है, साथ ही शासनादेश संख्या–370/XXVIII(1)2017-77/202013 दिनांक 31 मार्च, 2017 के द्वारा श्रीगुरू राम राय इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साईन्सेज, देहरादून में शैक्षणिक सत्र 2017–18 में पी.जी पाठयक्रम हेतु पूर्व में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1024 दिनांक 04 अप्रैल, 2017 के माध्यम से निर्धारित शुल्क ही लिये जाने के निर्देश दिये गये है, जबतक कि प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा संशोधित दरों का पुर्ननिर्धारण न कर दिया जाय। इस क्रम में निदेशालय स्तर से विभिन्न पत्रों के माध्यम से संबंधित निजी मेडिकल/डेण्टल शिक्षण संस्थानों को शासन के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

मा. उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार/राज्य सरकार/एम.सी.आई./डी.सी.आई. के उक्त निर्देशों के अनुपालन के क्रम में शासन द्वारा गठित केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा राज्य स्थित समस्त मेडिकल/डेण्टल कॉलेजों की समस्त पी.जी. सीटों को काउन्सिलिंग के माध्यम से भरे जाने की कार्यवाही करते हुए, पंजीकृत छात्र–छात्राओं को उनकी मैरिट एवं दिये गये विकल्प के आधार पर दिनांक 15 अप्रैल, 2017 को सीट आवंटन किया गया, जिसके सापेक्ष इन आवंटित छात्र–छात्राओं द्वारा मा. उच्चतम न्यायालय/एम.सी.आई./डी.सी.आई. द्वारा काउन्सिलिंग प्रथम चरण हेतु निर्धारित समय–सारणी के अनुसार विलम्बतम दिनांक 22 अप्रैल, 2017 तक प्रवेश लिया जाना है।

छात्र–छात्राओं से बार–बार प्राप्त विभिन्न शिकायतों के माध्यम से बोर्ड के संज्ञान में आया है कि कतिपय निजी शिक्षण संस्थान द्वारा शासन द्वारा निर्धारित शुल्क के स्थान पर अधिक शुल्क दिये जाने हेतु छात्र–छात्राओं पर दबाव/शुल्क के संबंध में भ्रामक सूचना दी जा रही है तथा साथ ही कतिपय संस्थानों द्वारा बोर्ड के माध्यम से आवंटित छात्र–छात्राओं को संबंधित आवंटित कोटे एवं उस हेतु निर्धारित शुल्क पर प्रवेश दिये जाने से मना किया जा रहा है।

केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा छात्र–छात्राओं से प्राप्त उक्त शिकायतों का तत्काल संज्ञान लेते हुए संबधित शिक्षण संस्थान को प्रवेश एवं शुल्क के समय शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये जा चुके है।

अतः उक्त प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सर्वसाधारण एवं संबंधित निजी मेडिकल/डेण्टल शिक्षण संस्थानों को पुनः यह स्पष्ट/निर्देशित किया जाता है कि राज्य स्थित प्रत्येक निजी मेडिकल/डेण्टल संस्थान की पी.जी. सीटों पर शासन द्वारा गठित केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा आवंटित छात्र–छात्राओं को ही प्रवेश दिया जाएगा तथा केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा इन आवंटित छात्र–छात्राओं को जिस कोटे (राज्य कोटे अथवा अखिल भारतीय–प्रबंधकीय कोटे) में सीट आवंटित की गई है, संबंधित संस्थान द्वारा छात्र से उसी कोटे हेतु शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाएगा।

यदि प्रवेश एवं शुल्क के संबंध में राज्य स्थित किसी भी निजी मेडिकल/डेण्टल शिक्षण संस्थान द्वारा मा. उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार/राज्य सरकार/एम.सी.आई./डी.सी.आई. के आदेशों का पालन नहीं किया जाता है, तो संबंधित संस्थान में संचालित मेडिकल/डेण्टल पाठ्यक्रमों की मान्यता निरस्त किये जाने की कार्यवाही हेतु उत्तराखण्ड शासन/भारत सरकार/एम.सी.आई./डी.सी.आई. को प्रबल संस्तुति कर दी जाएगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तदायित्व संबंधित संस्थान का होगा।

20/4/17

कुलसचिव/सदस्य सचिव,
नीट पी0जी0 2017 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीकृत काउन्सिलिंग बोर्ड।

Scanned by CamScanner